

अधिशारा अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो० वि० चन्दौली  
(pwdchandauli.cd@gmail.com)

दिनांक: 31-05-2021

पत्रांक: 28/AED/2021-2022

सेवा में,

प्रधानाचार्य  
सेठ एम् आर जैपुरिया स्कूल्स  
बनारस पड़ाव कैम्पस  
चन्दौली।

विषय: निर्मित विद्यालय भवन हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।


संदर्भ: आपका प्रार्थना पत्र संख्या-शून्य दिनांक-21 मई, 2021

महोदय,

उपरोक्त विषयगत संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में आपके विद्यालय भवन सेठ एम् आर जैपुरिया स्कूल्स, बनारस पड़ाव कैम्पस, चन्दौली का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें विद्यालय भवन के निर्माण की गुणवत्ता नेशनल बिल्डिंग कोड वर्ष 2005 के अनुसार भू-तल से तीसरी मंजिल तक संतोषजनक पाया गया तथा सुरक्षा की दृष्टि से भी सुरक्षित है।

निर्मित भवन के स्ट्रक्चरल डिजाइन आदि का दायित्व विद्यालय प्रबन्धक के स्वयं का होगा तथा साथ ही चेक लिस्ट प्रोफार्मा में विन्दुवार आख्या अंकित है, जो जारी तिथि से 05 वर्ष के लिए वैध है।


संलग्नक-चेकलिस्ट प्रोफार्मा-01 प्रति में।

  
सदस्य अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो० वि० चन्दौली  
चन्दौली

## विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट

विद्यालय का नाम— सेठ एम् आर जैपुरिया स्कूल, बनारस पड़ाव कैम्पस, चन्दौली

क्र०सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जाँच आख्या
	<b>भवन की चेकलिस्ट</b>	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है ?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकार/सक्षम अधिकारी द्वारा रवीकृत है ?	हाँ
3	क्या भवन तीन मंजिला से अधिक ऊंचा है ?	हाँ
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8हे० 1800वर्गमी० है ?	हाँ
5	क्या भवन के चारों तरफ 6मी० खुला स्थान है ?	हाँ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है ? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है ?	हाँ
7	क्या भवन का ओरियन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है ?	हाँ
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (एप्रोच रोड) की चौड़ाई न्यूनतम 12मी० है ?	हाँ
9	क्या भवन की छत आर०सी०सी० की बनी है ? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लायी गई ?	हाँ
10	क्या भवन की दिवार ईट या पत्थर की सीमेंट मसालों से बनी है ?	हाँ
11	क्या भवन की दिवारों/छतों में क्रैक है ?	नहीं
12	क्या कक्षों की छतों की उचाई फर्श से न्यूनतम 3.60मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.00मी०) है ?	हाँ
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउन्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.00मी० एवं उचाई 4.50मी० है ?	हाँ
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है ? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?	हाँ
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं ?	हाँ
16	क्या कक्ष के दरवाजों के न्यूनतम मॉप (चौड़ाई 1.00मी० उचाई 2.00मी०) है ?	हाँ
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है ?	हाँ
18	(i) क्या एक मंजिल से अधिक ऊंचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500मि०मी० ट्रेड 300मि०मी० तथा राईजर 150मि०मी० है ? (ii) जारी तिथि से कितने वर्ष के लिए बैध है ?	हाँ 05 वर्ष
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) तथा आटोमैटिक स्पिन्कलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं ?	अग्नि शमन विभाग द्वारा परीक्षण किया जाता है।
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाईटिंग एप्लान्सिज (First aid fire Fighting) की व्यवस्था है ?	अग्नि शमन विभाग द्वारा परीक्षण किया जाता है।
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है ?	अग्नि शमन विभाग द्वारा परीक्षण किया जाता है।
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First aid Box) की व्यवस्था है ?	हाँ

  
**सहायक अभियन्ता**  
 सहायक अभियन्ता  
 निर्माण विभाग, लोकोपनिवेश  
 चन्दौली  
 21/12/2022